

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (J-218) अलेसे- I/ 3421-22

दिनांक:- 22/04/2024

अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
जोधपुर।

विषय:- श्री जयदेव शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I को यथावत कार्यरत रखे जाने हेतु।

प्रसंग:- इस निदेशालय का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश संख्या 89/2023-24
दिनांक 22.02.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा श्री जयदेव शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I का स्थानान्तरण/पदस्थापन आपके कार्यालय से एनआरएचएम, जैसलमेर में किया गया था, परंतु एनआरएचएम, जैसलमेर में अधीनस्थ लेखा सेवा का कोई भी पद स्वीकृत नहीं होने के कारण विभागीय एकल पत्रावली क्रमांक 3149 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा श्री शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I का कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर से एनआरएचएम, जैसलमेर में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश निरस्त किये जाने की सहमति प्रदान कराने हेतु वित्त विभाग को लिखा गया है।

अतः एकल पत्रावली पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने तक श्री जयदेव शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I को यथावत आपके कार्यालय में कार्यरत रखे जाने का श्रम करावें।

भवदीय,



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (J-218) अलेसे- I/ 3421-22

दिनांक:- 22/04/2024

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक (आई.टी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)